

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क) (उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 17 नवम्बर, 2015 ई0 कार्तिक 26, 1937 शक सम्बत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 332/XXXVI(3)/2015/63(1)/2015 देहरादून, 17 नवम्बर, 2015

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान समा द्वारा पारित 'उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015' पर दिनांक 09 नवम्बर, 2015 को अनुमित प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 21 वर्ष, 2015 के रूप में सर्व—साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2015 (अधिनियम संख्या 21 वर्ष 2015)

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 में अग्रेत्तर संशोधन के लिये-

अधिनियम

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्षभ्में उत्तराखण्ड विधानसभा द्वारा निम्नवत् अधिनियमित किया जाता है:

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्म

- 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अधिनियम 2015 है।
 - (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होंगे।
- धारा 48 का 2. उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005, (जिसे आगे मूल अधिनियम संशोधन कहा गया है) की धारा 48 की वर्तमान उपधारा (1), (2) व उपधारा (3) निम्नवत् संशोधित कर दी जायेगी; अर्थात—
 - 48. घोषणा पत्रों द्वारा माल का राज्य के अन्दर आयात / परिवहन :
 - (1) कर के परिहार या अपवंचन अथवा कर के परिहार या अपवंचन के प्रयास को रोकने या नियन्त्रित करने के उदेश्य से, यह प्राविधानित किया जाता है कि कोई व्यक्ति अथवा व्यौहारी (जिसे आगे इस नियम में आयातकर्ता कहा गया है) जो धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (क) अनुसूची—1 में विनिर्दिष्ट माल से मिन्न माल को, विक्रय, उपयोग, उपभोग अथवा अन्य व्यवस्थापन हेतु, ऐसी मात्रा या माप या ऐसे माल की कीमत से अधिक कीमत का माल, जैसा कि राज्य सरकार इस निमित्त अधिसूचित करे, राज्य के बाहर के किसी स्थान से राज्य के अन्दर लाने की, आयात करने की या अन्यथा प्राप्त करने की इच्छा करता है, विहित प्ररूप में घोषणा पत्र /ई—घोषणा पत्र अथवा प्रमाण पत्र / ई—प्रमाण पत्र, ऐसी सूचनाओं से युक्त एवं ऐसी रीति से, जैसा कि किमिश्नर द्वारा विहित किया जाय, प्राप्त करेगा;

परन्तु यह कि यदि आयातकर्ता कारबार के सम्बन्ध से मिन्न प्रयोजन के लिये ऐसे माल को लाने, आयात करने या अन्यथा प्राप्त करने का इरादा रखता है, तो वह अपने विकल्प पर उसी प्रकार प्रमाण पत्रों / ई—प्रमाण पत्रों का विहित प्रपत्र प्राप्त कर सकता है;

परन्तु यह और कि किमश्नर विज्ञाप्ति द्वारा व्यौहारियों की श्रेणी अथवा सभी व्यौहारियों के लिये विहित प्ररूप में ऑनलाइन घोषणा पत्र हेतु आवेदन करना तथा प्राप्त करना तथा उन्हें अधिनियम के प्रावधानों एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार प्रयोग करना अनिवार्य वैकित्पक कर सकता है। इस पाठ में ऐसे घोषणा पत्रों को आगे ई—घोषणा पत्र कहा गया है।

(2) जहाँ ऐसे मालं का सड़क मार्ग से परेषण किया जाना है :

- (क) आयातकर्ता विहित घोषणा पत्र / ई—घोषणा पत्र विहित रीति से प्राप्त करेगा तथा माल के संचलन के दौरान अपने साथ निम्नलिखित दस्तावेज रखेगा—
 - (i) ऐसा, सम्यक रूप से डुप्लीकेट में भरे हुये एवं हस्ताक्षरित, घोषणा पत्र, जिसके अपेक्षित विवरण की प्रविष्टि ऑनलाइन प्रस्तुत ट्रिपशीट में की गयी है, जैसा कि, धारा 48 क में प्राविधानित है। परन्तु यह कि जहां ई—घोषणा पत्र का प्रयोग किया गया है एवं ऐसे घोषणा पत्र के अपेक्षित विवरण सम्यक रूप से ऑनलाइन भरे गये हैं तथा इनकी प्रविष्टि ऑनलाइन प्रस्तुत ट्रिपशीट में की गयी हैं, जैसा कि धारा 48 क में प्राविधानित है। ऐसे ई—घोषणा पत्र की प्रति माल के संचलन के साथ परिवहित करने की आवश्यकता नहीं होगी।
 - (ii) धारा 48 क में विहित प्रावधानों के अनुसार तैयार एवं प्रस्तुत ट्रिपशीट की ऐसी प्रति, जो अपेक्षित सूचना, जिसमें, ऐसे घोषणा पत्र / ई—घोषणा पत्र के अपेक्षित विवरण सम्मिलित हैं, से युक्त हो।
 - (iii) ऐसे माल से सम्बन्धित बिक्री बीजक / बिल या चालान या इसी तरह के अन्य दस्तावेज;
- (iv) संचलित माल से सम्बन्धित जी०आर० / बिल्टी या माल के हक के वस्तावेज एवं धारा 42 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किस्की भी स्थान पर अपेक्षा करने पर इन दस्तावेजों को प्रस्तुत करेगा।
- (ख) आयातकर्ता उपरोक्त खण्ड (क) में उल्लिखित घोषणा पत्र एवं अन्य दस्तावेजों की प्रतियां, जो उसे या उसके अभिकर्ता को दी गयी है, ऐसी अवधि तक संरक्षित रखेगा जैसा कि विहित किया जाय और उन्हें ऐसी रीति के अनुसार और ऐसी अवधि के भीतर कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जैसा कि कमिश्नर द्वारा विहित किया जाय।

उपधारा (2) के खण्ड (ख) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड जोड़ दिया जायेगा; अर्थात—

(ग) यदि किसी भी स्तर पर धारा 42 की उपधारा (1) एवं उपधारा (2) के अर्न्तगत प्राधिकृत अधिकारी का, माल के स्वामी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात यह समाधान हो जाये कि पूर्ववर्ती उपधाराओं में वर्णित माल, विहित रीति से और विहित प्ररूप में, द्रिपशीट को ऑनलाइन प्रस्तुत किये बिना परिवहन किया गया है, अथवा ऐसी ट्रिपशीट की प्रति को साध लिये बिना, परिवहन किया गया है, और यह कि ऐसा माल;

- (i) धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (क) में उल्लिखित अनुसूची 1 में वर्णित माल से भिन्न है; और
- (ii) ऐसा माल व्यक्तिगत प्रयोग व उपभोग के लिये नहीं है; तो यह समझा जायेगा कि माल के स्वामी द्वारा ऐसे माल का परिवहन इस अधिनियम के अधीन कर निर्धारण या देय कर या संभाव्य कर के भुगतान का अपवंचन करने हेतु किया जा रहा है।
- (3) यदि ऐसा माल राज्य में व्यक्तिगत सामान के रूप में लाया जाता है तो, माल लाने वाला व्यक्ति अपने साथ विहित प्रपत्र में सम्यक रूप से भरा हुआ और आयातकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा पत्र रखेगा और आयातकर्ता उसे इस निमित्त कमिश्नर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष ऐसी अवधि के अन्दर जैसा कि कमिश्नर द्वारा विहित की जाय, पृष्ठांकन किये जाने के लिये प्रस्तुत करेगा।

परन्तु यह कि जहां ई—घोषणा पत्र का प्रयोग किया गया है एवं ऐसी घोषणा के अपेक्षित विवरण विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर किमश्नर द्वारा विहित प्रारूप में सम्यक रूप से ऑनलाइन भरे गये हैं तथा इनकी प्रविष्टि ऑनलाइन प्रस्तुत फार्म में कर दी गयी है, वहां ऐसे ई—घोषणा पत्र की प्रति माल के संचलन के साथ परिविहत करने की आवश्यकता नहीं होगी तथा वहां यह समझा जायेगा कि व्यौहारी द्वारा ई—घोषणा पत्र के पृष्ठांकन सम्बन्धी प्रक्रिया का अनुपालन कर लिया गया है।

49 की 3. "मूल अधिनियम" की धारा 49 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के वर्तमान प्रथा (1) के प्रथम परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ दिया जाएगा, अर्थात—

"परन्तु यह कि जहां ई—घोषणा पत्र का प्रयोग किया गया है एवं ऐसी घोषणा के अपेक्षित विवरण विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर किमश्नर

"परन्तु यह कि जहां ई—घोषणा पत्र का प्रयोग किया गया है एवं एसी घोषणा के अपेक्षित विवरण विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर किमश्नर द्वारा विहित प्रारूप में सम्यक रूप से ऑनलाइन भरे गये हैं तथा इनकी प्रविष्टि ऑनलाइन प्रस्तुत फार्म में कर दी गयी है, वहां ऐसे ई—घोषणा पत्र की प्रति माल के संचलन के साथ परिवहित करने की आवश्यकता नहीं होगी तथा वहां यह समझा जायेगा कि व्यौहारी द्वारा ई—घोषणा पत्र के पृष्ठांकन सम्बन्धी प्रक्रिया का अनुपालन कर लिया गया है।"

धारा 49 की
जपधारा (1) के
खण्ड (ख) में
वर्तमान प्रथम
परन्तुक के
परचात् नया
परन्तुक का
जोड़ा जाना

आज्ञा से,

जय देव सिंह, प्रमुख सविव।

No. 332/XXXVI(3)/2015/63(1)/2015 Dated Dehradun, November 17, 2015

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'the Uttarakhand Value Added Tax (Amendment) Bill, 2015' (Adhiniyam Sankhya 21 of 2015).

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 09 November, 2015.

THE UTTARAKHAND VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) ACT, 2015 (Act No. 21 of 2015)

An

Act

further to amend The Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005-

(Be it enacted by the Uttarakhand Legislative Assembly in the Sixty sixth year of the Republic of India, as follows:-

Short title and commencement

- . (1) This Act may be called The Uttarakhand Value Added Tax, (Amendment) Act 2015.
 - (2) This shall come into force at once

Amendment in Section 48

- 2. In Section 48 of the Uttarakhand Value Added tax Act, 2005(hereinafter referred to as the Principal Act), the following sub-section (1), (2) and sub-section (3) shall be amended; namely-48. Import of Goods into the State against Declaration:
 - (1) With a view to prevent or check avoidance or evasion of tax or any attempt of avoidance or evasion of tax, it is hereby provided that any person or dealer (hereinafter in this section referred to as importer), who intends to bring, import or otherwise receive, into

the state from any place outside the state, any goods other than the goods specified in schedule (I) referred to in clause (a) of subsection (2) of section 4 exceeding such quantity or measure or of such value as may be notified by the State Government in that behalf, for sale, use, consumption or other disposal shall obtain a prescribed form of declaration/ e-declaration or certificate/ e-certificate; in prescribed manner and containing such informations as may be prescribed.

Provided that the importer who intends to bring, import or otherwise receive such goods otherwise than in connection of business, he may, at his option, in the like manner obtain the prescribed form of certificate/e- certificate.

Provided further that commissioner may by a notification make it mandatory/ optional for a class of dealers or all dealers to apply and obtain such online declaration in prescribed manner and use them in accordance with the Act and the rules made thereunder. Such declaration, in this chapter, shall be referred to as "edeclaration".

(2) Where such goods are consigned by road-

- (a) The importer shall obtain the prescribed 'declaration'/ e-declaration in prescribed manner, and shall cause the following documents to be carried with the goods in movements;
- (i) Such declaration, duly filled and signed, in duplicate, the required details of which are entered in the online submitted trip sheet as provided in section 48A;

Provided that where e-declaration is used, the required details of such declaration should be duly filled online, and entered in the online submitted trip sheet as provided in section 48A. The copy of such e-declaration need not to be carried with the goods;

- (ii) Copy of the trip sheet prepared and submitted in the manner as provided in section 48A containing the required information including the required details of such declaration /e-declaration.
- (iii) Invoice, Challan or like other documents related to such goods.

- (iv) G.R./Billty or other like document of title of goods in movement; and also cause to produce these documents before *the officer authorized under subsection (1) or subsection (2) of section 42 at any place, if so required by such officer.
- (b) The importer shall preserve the copies of declaration and other documents delivered to him or his agent under clause (a) for such period as may be prescribed and produce them before the assessing authority in a manner and within a time as may be prescribed by the Commissioner.

After clause (b) of sub-section (2), the following clause shall be added; namely -

- (c) If, at any stage, the officer authorized under sub section (1) and sub section (2) of Section 42 is satisfied, after giving the owner of the goods an opportunity of being heard, that the goods referred to in previous sub section were transported without online submitting "Trip-Sheet" in the prescribed form and manner or without carrying copy of such "Trip-Sheet", and that, such goods are;
 - (i) The goods other than the goods specified in schedule (1) referred to in clause (a) of sub-section (2) of Section-4; and
 - (ii) Such goods were not meant for personal use or consumption; it shall be deemed that such goods were so transported by the owner of the goods in an attempt to evade assessment or payment of tax due or likely to be due under this Act.
 - (3) Where such goods are brought into the State as personal luggage, the person bringing them shall carry with him the declaration in the prescribed form duly filled in and signed by the importer and the importer shall submit the same for endorsement by the officer authorised by the Commissioner in this behalf in a manner and with in a time as may be prescribed by the Commissioner.

Provided that where e-declaration is used, the required details of such declaration should be duly filled online, and entered in the online submitted form, as prescribed by the Commissioner on the official website of the department, the copy of such e-declaration need not to be carried with the goods and dealer shall be deemed to have compiled with the requirement of endorsement of e-declaration form, made above.

Addition of a new proviso after the existing first proviso of clause (b) of sub-section (1) of Section 49 3. In Section 49 of the Principal Act after the existing first proviso of clause (b) of Sub-Section (1), the following new proviso shall be added; namely -

Provided further that where e-declaration is used, the required details of such declaration should be duly filled online, and entered in the online submitted form, as prescribed by the Commissioner on the official website of the department, the copy of such e-declaration need not to be carried with the goods.

By Order,

JAI DEO SINGH, Principal Secretary.

कारण एवं उद्देश्य

राज्य में प्रान्त बाहर से माल आयात करने वाले व्यापारियों को फार्म—16 का प्रयोग करना होता है जिसे प्राप्त करने के लिए व्यापारी को कार्यालय में आना पड़ता है। वाणिज्य कर विभाग द्वारा फार्म—16 के संबंध में एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। इस सॉफ्टवेयर में Digital Form-16 जिसे e-Form 16 नाम दिया गया है, का प्रयोग किया जाना प्रस्तावित है। इसके अन्तर्गत व्यापारी द्वारा बिना कार्यालय में आये फार्म—16 हेतु आवेदन एवं प्राप्त किया जा सकता है। व्यापारी द्वारा माल आयात किए जाने पर परिवहन के दौरान माल का विवरण कम्प्यूटर के माध्यम से ही घोषित किया जायेगा तथा इसका इन्द्राज ट्रिप—शीट पर किया जायेगा। इस प्रकार व्यापारी को मौतिक रूप से फार्म—16 साथ में लेकर चलने की आवश्यकता नहीं होगी। e-Form-16 के संचालन हेतु उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 में धारा 48, धारा 49 तथा उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 26 (ग), नियम 29 तथा नियम 30 में संशोधन प्रस्तावित है। उक्त संशोधन हेतु प्रस्ताव "उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015" विधेयक के रूप में सदन के विचारार्थ प्रस्तुत है।

डा0 इन्दिरा हृदयेश वित्तमंत्री